



सचची प्रतिनिधि

५८६
 वाहेरिया गिरीवाक भोजपुर
 10.3.97

नं० 11741 हजार पचीस 500 Rs + तीन सारम = 500 Rs only.

सौजन्य पत्र

- 1- नाम लेख्यकारी - श्री राजकेशव सिंह पिता स्वर्गीय श्री शीलाम सिंह ग्राम सिंगरी तहसील चक्रवर्ती जिला गीता भोजपुर भारतीय नागरीक।
- 2- नाम लेख्यकारी - विशु शिखा स्वर्ण ललित विहार कुलनाथदम कुंआ पत्रालय नं० १००० कदम कुंआ मकिल श्री रामचंद्र राय मंत्री विशु शिखा स्वर्ण शिमा विहार पिता श्री परिहारी राय मोहना कदम कुंआ पत्रालय नं० १००० कदम कुंआ भारतीय नागरीक।
- 3- लेख्य प्रकार - विद्यानामा मिजवी 31 (एकीक) उच्च दिनांक 11.01.1996
- 4- राजदाद दत्त विराधा - क्षाणा विराधा 250/- दो रोज पचास रुपया मात्र।
- 5- विवरण सम्पत्ति तथा विराधा नाम :- हमारी कै तमारी भुजारी दो रुक 4 $\frac{2}{3}$ हीर हराकी लकित काहल वाके मंका श्री ही लुद-पुजना नं० १००० लख कै दत्त रजिद्री गीता भोजपुर पाका नं० 245
- रकाम नं० 66 रवेला नं० 264 श्री प्रभुनाथ सिंह पिता स्वधराम राज सिंह ग्राम सिंगरी दत्ता ल-सिमा देवी पति श्री-गुणाप

सिंह से दिनांक 07.06.78 को राजकेश्वर सिंह के नाम जमीन ली गई जिसमें एक एकड़ जमीन राजकेश्वर सिंह पुनमुन देवी सरस्वती विद्या मंदिर समिति, विशु शिखा प्रबंध समिति, बिहार, कदम देवा, पटना के नाम 31 एकड़ वर्षों के लीग पर दी गई। शेष एक एकड़ $4 \frac{2}{3}$ बीघमील जमीन जिनका विकरण यदि शान्त निम्न है। धारा नं० 245 खारा नं० 96, खारा नं० 264 ग्राम सिंगरी रुर्द जिला जोगपुर है तथा अन्य जमीन 01 (एक) एकड़ 30 (तीस) बीघ गो पेंपनकारी को केंद्र वाँछारी से प्राप्त जमीन है। जिसका विकरण व दिशान्त निम्नंकित है:—

धारा नं० 245 तंत्री नं० 365, खारा नं० 56 खेवरा 259 ग्राम सिंगरी रुर्द जिला जोगपुर है — चौखी:—
 उत्तर = ठाकुर साह दक्षिण = सरकारी सड़क
 पुरव = खुर्द साह सिंह पश्चिम = ठाकुर साह

प्रस्तावित

1- यह कि प्रस्तावित सिंगरी रुर्द में राजकेश्वर सिंह पुनमुन देवी सरस्वती विद्या मंदिर दिनांक 11-01-1996 को विशु शिखा प्रबंध समिति, बिहार के निर्देशानुसार में सफलता पूर्वक चल रहा है जिसमें जल्द ही दशम तक की पढ़ाई होगी है। चूंकि इन क्षेत्र में इस विद्यालय की प्रतिष्ठा आत्मसाधित में ही काफी बढ़ गई है एवं समाज पर इसका अच्छा असर पड़ा है। हिन्दू जीवन पद्धति के आसोक में भारतीय संस्कृति पर आधारित की जा रही शिक्षा के क्षेत्र की जनता काफी प्रभावित है।

2- चूंकि विशु शिखा प्रबंध समिति के अधिकारी गण इस विद्यालय की मान्यता के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, एवं उनके लिए विद्यालय के नाम से न्यूनतम 03

बीघ एकड़ भूमि आवंटित है।
 अतः समाज के व्योमक हित में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त जमीन विद्यालय चलाने के लिए 31 (एकतीस)

